के0के0 चौधरी
पी0सी0एस0
कुलसचिव

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ– 226021
दूरभाष: 0522–2732193
फैक्स: 0522–2732185

पत्रांक– ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / स0वि0 / 2016 / 6726–7347
दिनांक: 07–06–2016

College Code 004

सेवा में,
निदेशक / प्राचार्य,

Raja Balwant Singh Engineering Technical Campus,Agra

BICHPURI

विषय: शैक्षिक सत्र 2016–17 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के आधार पर विश्वविद्यालय / उ0प्र0 शासन की सम्बद्धता समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रम में सन्दर्भ संख्या 2354(III) / सोलह–1–2016–13(5) / 2015 दिनांक 03.06.2016 में निर्गत शासनादेश के अपेक्षानुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा0 कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नानुसार पाठ्यक्रम :–

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	Intake Kept in abeyance	Affiliation Intake Approved
B.ARCH.	ARCHITECTURE	Shift I	40	6	34
B.PHARMA	BACHELOR OF PHARMACY	Shift I	60	0	60
B.TECH.	BIO-TECHNOLOGY	Shift I	60	0	60
B.TECH.	CHEMICAL ENGG.	Shift I	60	0	60
B.TECH.	CIVIL ENGG.	Shift I	60	0	60
B.TECH.	COMPUTER SC. & ENGG.	Shift I	90	0	90
B.TECH.	ELECTRICAL ENGG.	Shift I	60	0	60
B.TECH.	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG.	Shift I	90	0	90
B.TECH.	FOOD TECHNOLOGY	Shift I	60	0	60
B.TECH.	MECHANICAL ENGG.	Shift I	60	0	60
M.TECH	BIO-TECHNOLOGY	Shift I	18	0	18
M.TECH	CHEMICAL TECHNOLOGY	Shift I	18	0	18
M.TECH	COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING	Shift I	18	0	18
M.TECH	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	Shift I	18	0	18

उपरोक्तानुसार वर्णित प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली / डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन–पाठन / पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियों / मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान / प्रबन्धतन्त्र का होगा।
2. निरीक्षण मण्डल द्वारा अन्य गतिविधियों के साथ–साथ संस्था के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जायेगा।